हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
28/05/24	पत्रावली पेश हुई।	

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस के पश्चात हस्तगत प्रकरण में स्वीकार्य हैं कि प्रार्थी द्वारा अपनी सहखातेदारी भूमि ग्राम दूदनी (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी के खसरा नंबर 317 में आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि के खसरा नंबर 55 व 56 में से नवीन रेकॉर्डेड रास्ता चाहा हैं। तहसीलदार बाली की मौका रिपोर्ट पत्रांक :राजस्व/2023/7053 दिनांक 24/03/2023 प्राप्त हो चुकी है। तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में रास्ता कमाण्ड क्षेत्र सिंचाई विभाग के अधीन खसरा नंबर 56/622 किस्म गै. मु. मगरी में से 90 वर्गमीटर रास्ता प्रस्तावित किया है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस तहसीलदार बाली की मौका रिपोर्ट को स्वीकार करते हुये खसरा संख्या 56/622 में से रास्ता दिया जाने का निवेदन किया है। वहीं सिंचाई विभाग द्वारा रास्ता नहीं देने का निवेदन किया है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम 2012 के नियम 69 के स्पष्ट प्रावधान है कि खातेदार को अत्यांतिक आवश्यकता होने पर ही रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध करवाये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश दिया जा सकेगा।

चूंकि हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार बाली द्वारा कमाण्ड क्षेत्र सिंचाई विभाग के खसरा नंबर 56/622 में से नवीन रिकॉर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया है। उक्त खसरे की भूमि विभागीय भूमि होने के कारण राजकीय भूमि है, राजकीय भूमियों में से किसी खातेदार को अपने जोत/खेत तक पहुंचने के लिये आवागमन इत्यादि के प्रयोजन से नहीं रोका जाता है। तहसीलदार बाली की रिपोर्ट दिनांक 24/03/2023 के बिन्दु संख्या 1. व 2. से भी सिद्ध होता है कि प्रार्थी खातेदार अपनी जोत में आने जाने हेतु खसरा नंबर 56/622 की भूमि का निर्विवाद उपयोग करता आ रहा है। इस प्रकार प्रार्थी खातेदार को राजकीया भूमि में से रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध करवाने की अत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध नहीं होती है। अतः खसरा संख्या 56/622 में रास्ता दिया जाना न्यायसंगत नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 ए खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.) *

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी बाली